

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कमेड़ी देवी से झोंकरा तक 3किमी0मोटर मार्ग का निर्माण

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 932बी0/111(2)/जिला योजना 11-12दिनांक 06.06.2011 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, कपकोट में कमेड़ी देवी से झाकरा तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु00.50 लाख के लिए प्रदान की गयी है। (शासनादेश की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।)

राज्य योजना के अन्तर्गत कमेड़ी देवी से झोंकरा तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि.मी. के निर्माण हेतु सर्वे एवं वनभूमि प्रस्ताव गठित हेतु की प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपद के कमेड़ी देवी से झोंकरा तक मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 आती है।

कमेड़ी देवी से झोंकरा तक की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार है और यह ग्राम अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं आलू आदि उत्पादन है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। दुलान व्यय अधिक होने से इसका विपरीत असर गरीब जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस गाँव में अनुसूचित जाति के लोग भी निवास करते हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से गाँव का विकास होगा, युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रुकेगा। मोटर मार्ग का निर्माण समतल पहाड़ी भाग में होने ये 7 मीटर चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना भी 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार की गयी है। भविष्य में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही जी.पी.एस. रीडिंग के अनुसार डिजिटल एवं गगुल मैप भी प्रस्ताव में संलग्न है।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कमेड़ी देवी से झोंकरा तक 3किमी0 प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार मोटर मार्ग का 0.630 है0 भाग नाप भूमि से तथा 1.260 है0 भाग वन पंचायत, व सिविल 0.210 है0 में जाता है। है। इस संरेखण में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड एवं पुल निर्माण हेतु पक्का स्थान मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी भी सहमत हैं। इस समरेखण दो एच0पी0 बैंड पड़ते हैं।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार आरम्भ में मोटर मार्ग का संरेखण उक्त संरेखण संख्या 1 के अनुसार ही रखा गया है। इस समरेखण में 3 बैंड आते हैं। वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि में जाता है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार ग्रेड सही नहीं मिलता है और मोटर पुल निर्माण हेतु पक्का स्थान नहीं मिलता। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासियों को भी आपत्ति है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 3.00 कि.मी. लम्बाई में न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1.470 हैक्टेयर वन भूमि मोटर मार्ग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)


अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

दिनांक 26.05.2011 को जिला स्तरीय सड़क सलाहकार समिति की
बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक 06.06.2011 को जिला कार्यालय बागेश्वर के सभागार में जिला सड़क सलाहकार समिति की बैठक जिला अधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में 11:00 बजे की गयी जिसमें निम्नलिखित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

- 1- मा० श्री बलबन्त सिंह भौर्याल जी, मा० मंत्री चिकित्सा शिक्षा सचिवालय प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड सरकार मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र काण्डा।
- 2- मा० श्री चन्दन राम दास जी, मा० विधायक विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर।
- 3- मा० श्री शेर सिंह गढ़िया जी, मा० विधायक विधान सभा क्षेत्र कपकोट।
- 4- मा० श्री राम सिंह कोरगा जी, मा० अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर।
- 5- मा० श्री उमेद सिंह माजिला, मा० सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र काण्डा।
- 6- इ० गुलाब राम, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।
- 7- इ० पी०सी० जोशी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट।
- 8- इ० एन० के० सती, प्र० अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बागेश्वर।
- 9- श्री ललिता प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर।

10AC
465
25/6/11

बैठक में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित जिला योजना 2011-12 के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार किया गया।

जनपद बागेश्वर हेतु जिला योजना 2010-11 के लिए नये कार्यों का
चयन एवं अनुमोदन

बैठक का शुभारम्भ करते हुए अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय, खण्ड, लो०नि०वि० बागेश्वर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2010-11 में जिला योजना के अन्तर्गत 173 स्वीकृत कार्यों पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति में चल रहे हैं, जिनकी स्वीकृत लागत ₹ 2682.98 लाख है। इन कार्यों पर दिनांक 01.04.2011 को ₹ 4669.93 लाख अवशेष है। माननीय जमपद प्रभारी/कैबिनेट मंत्री उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के मार्ग/संतु कार्यों हेतु ₹ 610.00 लाख एवं पुल्लुड हाउसिंग के अन्तर्गत श्रेणी III के आवास के निर्माण हेतु ₹ 50.00 लाख का परित्यय अनुमोदित किया गया है।

शासनादेश संख्या 56/11(2)/05-47(बजट)/2005, दिनांक 17.01.2006 द्वारा जिला योजना की संरचना हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमावली के प्रस्तर-9 में संशोधन करते हुए अब अनुमोदित परित्यय के 3.5 गुना (सबसे तीन गुना) में से पूर्व के स्वीकृत कार्यों के अवशेष को घटा कर जो राशि प्राप्त होगी उसी सीमा तक एस.एन.डी. के कार्य स्वीकृत किये जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त शासनादेश के अमुपालन में वर्ष 2008-09 की जिला योजना संरचना निम्न प्रकार की जायेगी

R. K.

25-6-11

18	कपकोट	पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	1Job	0.50
19	कपकोट	जगथाना से पोथिंग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	1Job	0.50
20	कपकोट	पुडकुनी से पोथिंग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	1Job	0.50
21	कपकोट	गजवा फार्म से डौला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	1Job	0.50
22	कपकोट	बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से सीमा तक मोटर मार्ग (भूमि हस्तान्तरण हेतु)	1Job	0.50
योग विधानसभा कपकोट :-			61.50 + 8Job	40.66

विधानसभा-काण्डा

1	काण्डा	बनलेख दोफाड के बीच में पैदल सेतु का निर्माण (केवल एवटर्मेन्ट निर्माण)	1No	8.00
2	काण्डा	काण्डे थपलिया मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय किस्त।	3.00	4.67
3	काण्डा	धिगारतोला देवली मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय किस्त।	3.00	4.00
4	काण्डा	एस0सी0पी0 मजरे मार्ग का विस्तार में पहाड़ कटान हेतु।	6.00	3.00
5	काण्डा	कमंडीदेवी से झाकरा तक लिंक मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	1Job	0.50
6	काण्डा	दोफाड पंपो रताईस मोटर मार्ग का विस्तार ओखलधार तक (नापभूमि में)	2.00	1.00
7	काण्डा	अनगडी मोटर पुल से हरज्यू मन्दिर गापानी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	5.00	0.50
8	काण्डा	धिगारतोला देवली मोटर मार्ग के उजेडा से ईडा से भैरु चौपाटा जू0 हाईस्कूल तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	5.00	0.50
9	काण्डा	दोफाड पंपो रताईस मोटर मार्ग से गापानी विजोरिया, खलदौडी मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 10 किमी0	10.00	0.50
10	काण्डा	घोरा भैरु मोटर मार्ग जू0 हाईस्कूल भैरु से गैराड मोटर मार्ग का मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	4.00	0.50
11	काण्डा	काण्डा में गैस्ट हाऊस का निर्माण।	1Job	5.00
12	काण्डा	लाल पहाड़ से दोया पुल की ओर सी0सी0 मार्ग का कार्य।	1Job	2.00
13	काण्डा	नरगोली से तुसरेडा मोटर मार्ग	5.00	0.50
14	काण्डा	देवीनगर धामपुर से तुसरेडा ढांगा तक मोटर मार्ग	7.00	0.50
15	काण्डा	नरगोली सिमायल भण्डारीसेरा सलिया जग्यूडाबास (सेराघाट मिलान)	7.00	0.50
16	काण्डा	बोहाला घटगाड़ लिंक मार्ग किमी0 3 से हन्योली पम्प हाउस तक	3.00	0.50
17	काण्डा	जोलकाण्डे से शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	0.50
18	काण्डा	बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	0.50
19	काण्डा	रावतसेरा मोटर मार्ग डौला से देवल विसराल माणा दिगोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	0.50
20	काण्डा	सात चौरा जल्थाकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से गंगानाथ धार से सिरौली नारायणदेव मन्दिर तक मोटर मार्ग।	5.00	0.50
21	काण्डा	सिमकुना मोटर मार्ग मछियाकोट भिलगडी वाजड़ मिलान	4.00	0.50
22	काण्डा	काण्डा भाकड़पन्त मोटर मार्ग का विस्तार (नापभूमि)	2.00	5.50
23	काण्डा	जनपद बागेश्वर में पालडीछीना-मल्लीढाना-नैनी-बिनसर-भौगाडी-दाणुछीना-भटखोला मोटर मार्ग का विस्तार (सर्वेक्षण एवं वनभूमि)	5.00	0.50
योग विधानसभा काण्डा :-			93.00 + 1No + 3Job	40.66

विधानसभा-बागेश्वर

1	बागेश्वर	रिंग रोड से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज गण्डलसेरा तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.65	
---	----------	--	------	--

बागेश्वर	टाकुली शटरिंग हाउस से ताराशंकर पाठक के कमरे के पास भागस्थी नाले पर 5मी0 आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण।	INo	6.00
	योग विधानसभा बागेश्वर :-	0.65 + 1No	40.67
	योग जनपद बागेश्वर :-	155.15 + 2No + 11Job	122.00

उक्तानुसार कार्यो का अनुमोदन करने के उपरान्त सदन में उपस्थित माननीय विधायकों द्वारा स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से सम्पादित कराते हुए अधिक से अधिक धन का समय से उपयोग करने के निर्देश दिये जाये ताकि स्वीकृत कार्यो का लाभ जनता को समय से मिल सकें।

(ब) पूलड आवासों का निर्माण :- बागेश्वर जिला मुख्यालय में आवासों की समस्या को देखते हुए श्रेणी- III के आवासों के निर्माण हेतु ₹ 50.00 लाख का परियोजना अनुमोदित किया गया है।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्रातिशिघ्र अनुभादित कार्यो का आगणन गठित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये तथा उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(सी0एस0 नपलच्याल)
अध्यक्ष/जिला अधिकारी
बागेश्वर।

- संख्या 932 B/ जिला योजना 2011-12, दिनांक 06-06-11
- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --
- माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागेश्वर।
 - माननीय सांसद लोक सभा एवं राज्य सभा, भारत सरकार, नई दिल्ली/एवं प्रतिनिधि।
 - माननीय श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा सचिवालय प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड सरकार/मा0 विधायक विधानसभा क्षेत्र काण्डा।
 - माननीय विधायक एवं विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र कपकोट/बागेश्वर।
 - मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो0नि0वि0, देहरादून।
 - आयुक्त महोदय, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
 - मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
 - जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
 - अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
 - मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
 - जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर।
 - अधिशारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर/कपकोट।

(13) T. E. (T) 510 200 2008

सचिव/अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।